ऊनी क्षेत्र एक नजर में

1. परिचय-

अपने मौसमी उपयोग के कारण ऊन विशेष रूप से अन्य प्राकृतिक रेशों के मुकाबले कम होती है। परन्तु सर्दी के लिए कपड़े, सूटिंग, जमीन पर बिछाने वाले उत्पाद तथा खास औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए ऊन एक महत्वपूर्ण रेशा है। ऊन ही एक ऐसा रेशा है जिसे विभिन्न जानवरों से प्राप्त किया जाता है व ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है तथा देश भर में लाभदायक रोजगार प्रदान करता है।

भारत में ऊनी वस्त्र और परिधान उद्योग, कपास और मानव निर्मित फाइबर आधारित वस्त्र और परिधान उद्योग से अपेक्षाकृत छोटा है। तथापि ऊनी क्षेत्र विनिर्माण उद्योग के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्बद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें लघु, मध्यम और बड़े स्तर की इकाइयों को प्रतिनिधित्व होता है।

देश में ऊनी उद्योग का आकार 12444.45 (2020-21) करोड़ रूपये का है और मुख्य तौर पर यह संगठित और विकेंद्रीकृत क्षेत्रों के मध्य विभाजित और फैला हुआ है। संगठित क्षेत्र में: कंपोजिट मिल्स, कांबिंग यूनिट्स, वर्स्टेड स्पिनिंग यूनिट्स व नान वर्सटेड स्पिनिंग यूनिट्स, निटवियर्स और वूवन गारमेंट्स यूनिट्स तथा मशीन मेड कारपेट्स, निर्माण ईकाई शामिल है। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में हॉजरी व निटिंग, पावरलूम, हेंडनॉटेड कारपेट, ड्रगेट्स, नमदा और इंडिपेंडेंट डाइंग, प्रोसेस हाउसेस और वूलन हैंडलूम सेक्टर शामिल है। ऊन क्षेत्र एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है और इस क्षेत्र से हस्तनिर्मित गलीचे, ऊनी यार्न, कपड़े, सिलेसिलाए वस्त्र निर्यात किया है।

भारत में वर्ष 2020-21 में 36.93 मिलियन कि.ग्रा. कच्ची ऊन का उत्पादन सहित 74.26 मिलियन भेड़ है। यह भेड़ों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में तीसरा तथा सबसे बड़ा देश है। इसमें से लगभग 85% ऊन कालीन श्रेणी की है, 5% अपैरल श्रेणी और शेष 10% खुरदरी श्रेणी की ऊन है जिससे कंबल आदि बनते हैं। भारत में प्रति भेड़ औसत वार्षिक उत्पादन विश्व के औसत 2.4 कि.ग्रा. की तुलना में 0.9 कि.ग्रा. है। विशिष्ट गुणवत्ता वाले रेशे की अल्प मात्रा पश्मीना बकरी से प्राप्त की जाती है। ऊन का घरेलू उत्पादन अपर्याप्त है इसलिए उद्योग आयातित कच्ची सामग्री पर आश्रित है और ऊन एक मात्र प्राकृतिक रेशा है जिसकी देश में कमी है तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में 4000 परिवार पश्मीना बकरी पालन में लगे है।

भारत की कुल भेड़ संख्या में योगदान देने वाले मुख्य राज्य तेलंगाना (19.1 मिलियन), आंध्र प्रदेश (17.6 मिलियन), कर्नाटक (11.1 मिलियन), राजस्थान (7.9 मिलियन), तमिलनाडू (4.5 मिलियन), जम्मू व कश्मीर (3.2 मिलियन), महाराष्ट्र (2.7 मिलियन), गुजरात (1.8 मिलियन), ओडिसा (1.3 मिलियन) तथा उत्तर प्रदेश (1 मिलियन) है। यद्यपि दक्षिण भारत के राज्यों में भेड़ो की संख्या अधिक है लेकिन वे मुख्यत: मोटी (कोर्स) ऊन पैदा करते हैं। जो वर्तमान में किसी सार्थक उपयोग में नहीं आती है तथा भेड़ें मुख्यत: मटन के लिए पाली जाती हैं।

ऊनी उद्योग में दूरदराज और विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है और फिलहाल यह क्षेत्र संगठित ऊन क्षेत्र में लगभग 12 लाख को व्यक्तियों रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ भेड़पालन और कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध 20 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है। कालीन क्षेत्र में 3.00 लाख बुनकर कार्यरत हैं। मुख्य ऊनी मिलें उत्तर प्रदेश (लगभग 700), पंजाब (लगभग 300), राजस्थान (लगभग 166), हिमाचल प्रदेश (लगभग 12), जम्मू व कश्मीर (लगभग 4) तथा उत्तराखण्ड में (लगभग 2 ईकाई) हैं।

1.1 ऊन उत्पादन

ऊन उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से स्थिर है तथा ऊनी उद्योग के लिए कच्ची ऊन की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय ऊन मोटी प्रकार की है तथा प्रमुखत: हस्तनिर्मित गलीचा निर्माण हेतु प्रयोग की जाती है। संगठित मिलों तथा असंगठित होजरी सेक्टर के लिए आवश्यक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वदेशी ऊन बहुत कम मात्रा में है, भारत विशेष रूप से लगभग आयात पर ही निर्भर है।

स्वदेशी ऊन का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन मात्रा (मिलियन कि.ग्रा. में)
2012-13	46.05
2013-14	47.90
2014-15	48.14
2015-16	43.60
2016-17	43.50
2017-18	41.47
2018-19	40.42
2019-20	39.46
2020-21	36.93

(स्रोत: मत्स्य, पशुपालन व डेयरिंग मंत्रालय, पशुपालन व डेयरिंग विभाग, नई दिल्ली)

प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य

क्र. सं.	राज्य	ऊन उत्पादन 2020-21 (मात्रा '000 कि.ग्रा. में)
1.	राजस्थान	15676.45
2.	जम्मू व कश्मीर	7649.74
3.	तेलंगाना	3366.06
4.	गुजरात	2003.83
5.	महाराष्ट्र	1550.22
6.	हिमाचल पदेश	1482.24
7.	कर्नाटक	1051.79
8.	उत्तर प्रदेश	886.28
9.	पश्चिम बंगाल	764.83
10.	हरियाणा	687.22

(स्रोत: मत्स्य, पशुपालन व डेयरिंग मंत्रालय, पशुपालन व डेयरिंग विभाग, नई दिल्ली)

1.2 ऊन प्रसंस्करण

ऊन उद्योग अपर्याप्त तथा अप्रचलित प्रसंस्करण सुविधाओं से ग्रस्त है। गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना सुनिश्चित करने के लिए प्री-लूम तथा पोस्ट-लूम सुविधाओं को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। ऊनी वस्तुओं का गुणवत्ता युक्त निर्माण न केवल स्वदेशी ऊन के उपयोग को बढ़ावा देगा अपितु इससे उत्पाद वैश्विक बजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। यह ऊन उत्पादन कर्ताओं को बेहतर कीमत दिलवाने में सहायता करेगा तथा खादी व हथकरघा क्षेत्र के लिए गुणवता युक्त कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएगा।

ऊनी उद्योग के समग्र आकार और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रकृति के उपकरणों के कारण यह उद्योग स्थानीय स्रोतों से कुछेक मानार्थ उपकरणों को छोड़कर आयातित संयंत्र और मशीनरी पर आश्रित है। कच्ची ऊन के रेशे से लेकर फैब्रिक, इसके बाद निटिंग और गारमेंटिंग के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित मशीनरी अधिकांशत: यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आयातित की जाती हैं।

1.3 आयात

देश में ऊन का उत्पादन ऊन उद्योग मुख्य रूप से वस्त्र (अपरेल क्षेत्र) की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा इसमें से अधिकतर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा आदि अन्य देशों से आयात किया जाता है। भारतीय ऊनी उद्योग के विभिन्न सेगमेंटों की वर्तमान आवश्यकता आगे और बढ़ने की संभावना है क्योंकि ऊनी मदों की घरेलू और निर्यात मांग बढ़ी है। वह देश जो गुणवता वाले गलीचा ऊन उत्पादन में बेहतर (उत्तम / ऊंचा) स्थान रखते थे, आयात पर निर्भर हो रहे है जैसा कि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में मांग में वृद्धि ज्यादा हुई है। पिछले वर्षों के आयात के आंकड़े इस प्रकार से है-

कच्ची ऊन का आयात

वर्ष	मात्रा मिलियन कि.ग्रा.	कीमत (राशि करोड़ में)
2014-15	96.53	2125.74
2015-16	97.83	2016.12
2016-17	87.15	1894.26
2017-18	79.95	1884.59
2018-19	77.43	2159.56
2019-20	69.21	1593.46
2020-21	81.62	995.15

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

प्रमुख देशों से कच्ची ऊन का आयात

प्रमुख देशों से कच्ची ऊन का आयात (वर्ष 2020-21)		
क्र. सं.	देश	मात्रा टन में
1.	सिरिया	14964438
2.	चाईना पी आरपी	12778156
3.	न्यूजीलैण्ड	12506797
4.	टर्की	7518950
5.	आस्ट्रेलिया	5598884
6.	इटली	4002524
7.	यू. अरब ईमटीएस	3706327

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

1.4 निर्यात

भारत विभिन्न प्रकार के ऊनी उत्पाद जैसे- टाप्स, धागा (यार्न), कपड़ा (फेब्रिक) सिलेसिलाए परिधान तथा गलीचे निर्यात करता है। कुल निर्यात में गलीचे का हिस्सा सर्वाधिक हैं।

रूपए (करोड़ में)

वर्ष	ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स	सिले सिलाए परिधान	हस्तनिर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	कुल
2015-16	1284.91	1724.86	9421.75	12431.52
2016-17	1180.24	1443.26	9956.63	12580.13

2017-18	1197.86	1089.97	9196.99	11484.82
2018-19	1543.25	1378.32	10262.79	13184.36
2019-20	1282.36	1096.18	9581.38	11959.92
2020-21	**803.38**	**795.01**	**10846.06**	**12444.45**

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

प्रमुख देशों को निर्यात: ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप्स

प्रमुख देशों को निर्यात बने बनाये ऊनी यार्न, वस्त्र - वर्ष 2020-21		
क्र. सं.	**देश**	**कीमत करोड़ में**
1.	इटली	140.96
2.	कोरिया आरपी	139.75
3.	यूनाइटेड़ किंगडम	96.13
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका	73.94
5.	श्रीलंका डीएसआर	24.69
6.	जर्मनी	21.18
7.	आस्ट्रेलिया	17.24

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

निर्यात: कालीन (रेशम को छोड़कर) हस्तनिर्मित

प्रमुख देशों को निर्यात हस्तनिर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर) वर्ष 2020-21		
क्र. सं.	**देश**	**कीमत करोड़ में**
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	6300.89
2.	जर्मनी	673.30
3.	आस्ट्रेलिया	525.45
4.	यूनाइटेड़ किंगडम	521.01
5.	संयुक्त अरब अमीरात	292.89
6.	स्वीडन	249.92
7.	नीदरलेण्ड	227.96

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

बड़े देशों को निर्यात: सिलेसिलाए ऊनी परिधान वर्ष 2020-21

ऊनी परिधान		
क्र. सं.	**देश**	**कीमत करोड़ में**
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	130.91
2.	ओमान	112.54
3.	अफगानीस्तान	53.89
4.	जर्मनी	46.89
5.	फ्रांस	42.21
6.	नीदरलेण्ड	32.33
7.	तंजानिया आरइपी	26.90

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

2 निधियों का आवंटन तथा उपयोग

2.1 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के अधीन वृहद मात्रा में ऊन उत्पादन करने राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में ऊन क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक नोडल एजेन्सी है। बोर्ड, इस क्षेत्र के विकास के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना से कार्य कर रहा है तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना से इस क्षेत्र में आवंटित व उपयोग में ली गई निधियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड़ में)

योजनाऐं	निधि आवंटित	उपयोग में ली गई निधि
10वीं योजना	34.76	25.00
11वीं योजना	67.16	67.00
12वीं योजना	87.17	77.65
वितीय वर्ष 2017-18 से 2020-21	112.00	52.16

2.2 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (ऊन क्षेत्र की योजना) के तहत् पिछले 4 वर्षों के दौरान किया गया वास्तविक व्यय-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	एकीकृत ऊन विकास योजना के घटकों के नाम	निधियों का वर्षवार उपयोग				4 वर्षों में कुल उपयोग
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
1	केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम हेतु पुनर्निर्माण योजना।	749.00	154.25	1796.71	426.75	3126.71
2	ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)	0.00	0.00	14.91	55.25	70.16
3	ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	0.00	0.00	101.25	11.25	112.50
4	ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)	193.43	0.00	170.36	46.00	409.79
5	मानव संसाधन विकास और संवर्द्धनात्मक गतिविधियां	52.00	29.14	54.95	61.32	197.41
6	सामाजिक सुरक्षा योजना (एसएसएस)	0.00	02.22	02.82	0.00	05.04
7	स्थापना व्यय (सीडब्ल्यूडीबी)	316.00	350.00	333.11	295.35	1294.46
	कुल योग	**1310.43**	**535.61**	**2474.11**	**895.92**	**5216.07**

3. **<u>ऊन क्षेत्र की नई योजनाएँ</u>-** (वित वर्ष 2021-22 – 2025-26)

वित वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वयन हेतु ऊन क्षेत्र की नई योजनाऐं यथा एकीकृत ऊन विकास योजना (आई डब्ल्यू डी पी)

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक नया एकीकृत कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी को 15 जून, 2021 को आयोजित किया। स्थायी वित समिति की बैठक में अनुमोदन के द्वारा 15वें वित आयोग यथा वितीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कुल 126 करोड़ रूपए के वितीय आबंटन के साथ प्रारंभ किया है। ऊन क्षेत्र के विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय की आई डब्ल्यू डी पी योजना केन्द्र की योजना है। आई डब्ल्यू डी पी के दिशा निर्देशों को वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इस योजना को सभी बड़े ऊन उत्पादन करने वाले राज्यों में क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

ऊन क्षेत्र की योजना ''एकीकृत ऊन विकास योजना'' (आई डब्ल्यू डी पी) के विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्य व उद्देश्य है:-

भारत को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थान दिलाने तथा तकनीकी अनुप्रयोगों के द्वारा ऊनी वस्तुओं के बढ़िया निर्माता / वितरक तथा ऊन क्षेत्र के विभिन्न भागों को इकठ्ठा करने के लिए निम्न कार्य करना। एकीकृत ऊन विकास योजना के घटकों तथा उपघटकों के साथ क्रियान्वित किए जाने के लिए वित्तीय प्रावधान निम्न प्रकार है-

I. राज्य सरकारों की कच्ची ऊन खरीद क्षमता में वृद्दी कर ऊन की आपूर्ति श्रृंखला में तालमेल बिठाना तथा बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज को बढ़ाना।
II. ऊन उद्योगों को ऊन उत्पादनकर्ताओं से जोड़ने के लिए सुविधाऐं बनाना।
III. मेलों के आयोजन द्वारा लघु उत्पाद निर्माण को विपणन मंच प्रदान करना।
IV. ऊन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अधिक से अधिक भेड़ों की ऊन की कटाई (शियरिंग) मशीन से करना।
V. परिशोधित ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों को स्थापित करना।
VI. ऊन की जांच को बढ़ावा देना, बेल फार्मिंग सुविधा तथा ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करना।
VII. मोटी ऊन का उपयोग तथा शोध व विकास द्वारा तकनीकी वस्त्रों में ऊन का उपयोग।
VIII. हस्तनिर्मित, पारम्परिक डिजाइन के गुणवत्ता पूर्ण ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण।
IX. पश्मीना तथा गलीचे बनाने वाली ऊन की ब्रांडिंग।
X. हिमालय क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास करना।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले एकीकृत ऊन विकास योजना के घटकों तथा उपघटकों के साथ वित्तीय प्रावधान निम्न प्रकार हैं-

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	**मद**	**गतिविधि/**	**कुल आवंटन (5 वर्ष के**

			लिए)
I	ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	कच्ची ऊन के विपणन के लिए परिक्रामी निधि का निर्माण, ऊन के विपणन व नीलामी के लिए ई-पोर्टल और एम आई एस का विकास, ऊन उत्पादक समितियों/ स्वयं सहायता समूह का गठन करना। क्रेता विक्रेता बैठक, पूर्व में स्थापित ऊन मंडियों/ नई ऊन मंडियों/ ऊन का श्रेणीकरण करने वाले केन्द्रों में आवश्यक अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करना। विपणन सहायता के लिए ऊनी मेला (ऊनी उत्पादों की प्रर्दशनी सह बिक्री) आयोजित करना।	12.42
II	ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्यूपीएस)	ऊन प्रसंस्करण मशीन/सुविधा के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना। शिप शियरिंग मशीन तथा अन्य मशीनों जैसे बेल प्रेस मशीन, जांच उपकरण, डिजाइन बनाने वाले सॉफ्टवेयर सह हार्डवेयर, ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए छोटे उपकरण (हैण्डलूम/कारपेट लूम, निटिंग मशीन, स्पिनिंग चरखा आदि)।	31.30
III	मानव संसाधन विकास और संवर्द्धनात्मक गतिविधियां योजना	ऊनी उत्पादों के निर्माण / बुनाई के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान करना, औद्योगिक कामगारों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, मशीन से शीप शियरिंग पर प्रशिक्षण/ उत्पाद विकास/ प्रक्रिया/ सुधार (मोडिफिकेशन) / ऊन का ब्राण्ड/ लेबल/ विभिन्नीकरण/ प्रक्रिया सुधार/ इनोवेटिव प्रोडक्ट का विकास, डेक्कनी / मोटी ऊन का उत्तम उपयोग, स्वदेशी ऊन का मानकीकरण आदि भारतीय ऊन मार्क (निशान) / कालीन (गलीचा) मार्क का विकास अन्तराष्ट्रीय/ घरेलू सहकार सम्मेलन/ स्टेकहोल्डर की बैठक/सेमिनार/कार्यशाला, भेड़ मेला/ बैठक का आयोजन / ऊन सर्वेक्षण / अध्ययन / वर्तमान में कार्य कर रहे ऊन जांच केन्द्र, बीकानेर (राज.) तथा ऊन बुनाई व डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र / ISC कुल्लु हिमाचल प्रदेश का संचालन करना। योजना का प्रचार, प्रसार/ परियोजनाओं/ योजनाओं का मूल्यांकन/ दौरे, स्वच्छता आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम।	18.48
IV	पश्मीना ऊन विकास योजना (पी.डब्ल्यू.डी.एस.)	पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवोल्विंग फंड (केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए), पश्मीना ऊन प्रसंस्करण जैसे स्पीनिंग, डाईंग, विवींग, फिनिशिंग प्रोडक्ट मेन्यूफेक्चरिंग (वूवन / निटेड) के लिए मशीन की स्थापना करना। पश्मीना मार्क / लेबल, पश्मीना बकरी के लिए शेल्टर शेड व गार्ड कमरें का निर्माण करना। आवश्यक उपकरणों के साथ पोर्टेबल टेन्ट का वितरण, एलईडी लाईट युक्त	29.25

		शिकारी से सुरक्षित पिंजरों का निर्माण / पश्मीना उत्पादों की पहचान / जांच के लिए डी.एन.ए. एनालाईजर सहित जांच उपकरण। लेह में डिहेयरिंग प्लांट परिसर में शोरूम का विकास तथा पश्मीना बकरियों के लिए चारा भूमि / सरकारी फार्म का विकास।	
V	कार्यान्वयन संस्थाओं के प्रशासनिक व्यय	कार्यान्वयन संस्थाओं के प्रशासनिक व्यय के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना लागत @ 2%	1.83
VI	नोडल एजेन्सी (केऊविबो) गैर योजना/आवर्ती व्यय)	नोडल एजेन्सी (केऊविबो: गैर योजना / आवर्ती व्यय) के लिए वेतन तथा भत्तों व अन्य स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय	20.00
VII	पिछले/प्रतिबद्ध दायित्वों के पूरा करने के वित्तीय प्रावधान	वित्त वर्ष 2021-22 में मौजूदा योजना के तहत् पिछले /प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही शीप शियरिंग परियोजना के लिए भावी व्यय।	12.71
		कुल योग (I से VII)	**125.99**

4. वृहद कार्यक्रम तथा वर्ष 2014 से की गई योजना पहल

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, वृहद ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन क्षेत्र के विकास के लिए ऊन क्षेत्र के विकास के लिए ऊन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। ऊन क्षेत्र के तहत् वृहद् कार्यक्रम तथा योजना पहल के तहत लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन का विकास के लिए योजना का क्रियान्वयन है। यह योजनाऐं बजट भाषण 2014-15, प्रधानमंत्री के लेह दौरे के दौरान 12 अगस्त, 2014 को घोषित पश्मीना संवर्द्धन कार्यक्रम (पी-3) के अनुसार तैयार की गई है तथा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में क्रियान्वित की गई व वित्तीय वर्ष 2020-21 तक क्रियान्वयन चालू है।

वर्ष 2014 से किए गए वृहद् कार्यक्रम तथा योजनागत पहल निम्न प्रकार है:-

(अ) पश्मीना ऊन विकास योजना का क्रियान्वयन

(ब) पश्मीना संवर्द्धन कार्यक्रम (पी-3) का क्रियान्वयन

(स) वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक क्रियान्वित करने हेतु एकीकृत ऊन विकास योजना (आई डब्ल्यू डी पी) के तहत् "केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए पुनर्निर्माण योजना"

<u>पश्मीना ऊन का परिचय (प्राकृतिक रेशा)</u>

भारत लद्दाख क्षेत्र (लेह व कारगिल जिले) में पश्मीना के नाम से पहचानी जाने वाली विश्व की सबसे महीन ऊन का लगभग 50 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। 14000 फीट ऊंचे लद्दाख के ठंडे तथा मरूस्थलीय क्षेत्र में चांगथांगी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन के विशेष गुण जैसे- विशिष्ट चमक, बहुत गरमाहट, नरम तथा वजन में हल्की होना, इसे

पहनने वाले व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं। लद्दाख क्षेत्र के दूर-दराज वाले स्थानों में रहने वाले घुमन्तुओं की आय का एकमात्र स्रोत पश्मीना बकरी पालन ही है। लद्दाख क्षेत्र केवल पश्मीना ऊन का उत्पादन करता है तथा उस ऊन का मूल्य संवर्धन कश्मीर क्षेत्र, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में होता है क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक तकनीक/मशीनें तथा उत्पाद निर्माण के लिए सुविधाऐं नहीं हैं।

देश में पश्मीना ऊन के उत्पादन की क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय (केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड) पश्मीना क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है -

- पश्मीना संख्या, पश्मीना उत्पादन, पश्मीना उत्पादकों की आय में वृद्दि करना तथा इस क्रियाकलाप को जीविका के लिए विश्वसनीय स्रोत मानने हेतु उनकी रूचि को बनाए रखना।
- सरकारी पश्मीना फार्म तथा स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
- पश्मीना बकरियों का स्वास्थ्य सुधार।
- चारागाहों (फोडर फार्म) का विकास कर चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- पश्मीना नोमेड की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा टेन्ट, शिकारी से सुरक्षित पिंजरे, गार्ड रूम युक्त (शेल्टर शेड) छाया स्थल आदि प्रदान करके उनकी बकरियों को सुरक्षा प्रदान करना।
- जांच प्रयोगशालाऐं बनाना।
- पश्मीना ऊन का मूल्य वृद्धि हेतु पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना।

पश्मीना क्षेत्र के तथा अन्य योजनाओं के विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा घोषित की गई विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है -

4.1 पश्मीना ऊन विकास योजना (पी.डब्ल्यू.डी.एस.)

वस्त्र मंत्रालय (केऊविबो) ने पश्मीना ऊन उत्पादन में वृद्धि करने, पश्मीना ऊन के द्वारा पश्मीना पालकों की आय को बढ़ाने तथा इस कार्य को आजीविका के विश्वसनीय स्रोत के रूप में उनकी इच्छा को बनाए रखने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्मीना ऊन विकास योजना की शुरूआत की। वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से पश्मीना ऊन विकास योजना के तहत् निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया गया-

- नस्ल सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना बकरों का वितरण
- गैर परम्परागत क्षेत्र में पश्मीना क्षेत्र का विकास करने के लिए फाऊण्डेशन स्टॉक के लिए सहायता
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/ पशुपालक उन्नयन स्वास्थ्य शिविर
- पात्र पश्मीना बकरियों को पोषण सहायता
- पशुओं झुण्डों की सुरक्षा के लिए पश्मीना बकरी बाड़ा बनाने हेतु सहायता
- नोमेड को पोर्टेबल टेन्ट, गमबूट, टार्च, गोगल आदि देने के लिए सहायता
- स्वास्थ्य कवर (दवाइयाँ, टीकारण, चिकित्सा तथा मेडिकल किट)
- पूर्व में स्थापित पश्मीना चारा बैंको व नस्ल सुधार फार्मों का सुदृढ़ीकरण
- प्रव्रजन मार्गों पर चारागाह फार्मों की स्थापना
- सुधारीकृत पश्मीना कंघों का वितरण

- पश्मीना उत्पादकों से, पश्मीना ऊन की खरीद हेतु परिक्रामी निधि

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने पश्मीना ऊन विकास योजना लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एल.ए.एच.डी.सी.) लेह तथा कारगिल जिले की मदद से क्रियान्वित की थी तथा उपर्युक्त घटकों के माध्यम से पश्मीना ऊन उत्पाद करने वाले (नोमेड) 800 परिवारों तथा 2 लाख पश्मीना बकरियों को शामिल कर लाभान्वित किया तथा पूरक पोषण घटक के तहत् 40000 चयनित पश्मीना बकरियों को लाभ प्रदान किया इसके अतिरिक्त बोर्ड ने कारगिल जिले के गैर परम्परागत क्षेत्रों में पश्मीना बकरी पालनकार्य का विस्तार करने के लिए शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर के साथ मिलकर एक शोध व विकास परियोजना भी क्रियान्वित की।

इस कार्यक्रम के तहत् 41.21 करोड़ रूपये की आवंटित बजट राशि में से वर्ष 2014 से 2017 तक वस्त्र मंत्रालय ने 26.28 करोड़ रूपए का उपयोग किया। योजना का परिणाम पश्मीना उत्पादन तथा पश्मीना बकरी संख्या में वृद्दि, मृत्यु दर में कमी रहा।

4.2 पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3)

वस्त्र मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र के पश्मीना ऊन उत्पादकों की अतिरिक्त मांग मानने के लिए पश्मीना उन्नयन कार्यक्रम क्रियान्वित किया था। (पी-3)

इस नए कार्यक्रम के तहत् विभिन्न घटकों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विवरण निम्न प्रकार है-

- ऊन जांच के लिए पश्मीना फेसिलिटेशन केन्द्र, रोग निगरानी केन्द्र, भौगोलिक सूचकांक प्रणाली (जी आई एस) प्रयोगशाला
- नोमेड पश्मीना पालकों के लिए गार्ड रूम सहित पश्मीना बकरियों हेतु छाया युक्त शरण स्थल (शेल्टर शेड)
- मूल्य संवर्धन के लिए हथकरघा तथा कताई चरखा (स्पीनिंग व्हील)
- सोलर उर्जा से चलने वाले सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण
- पश्मीना बकरियों को चराने के लिए चारा भूमि का विकास
- किसानों को फाउण्डेशन स्टॉक (नर व मादा बकरियों) का वितरण।

यह कार्यक्रम बजट भाषण 2014-15 के अनुसार क्रियान्वित किया गया तथा पश्मीना ऊन उत्पादकों तथा लद्दाख स्वायत पहाड़ी विकास परिषद, लेह की मांग पर माननीय वित्त मंत्री ने लद्दाख क्षेत्र के लिए पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) की घोषणा की। भारत के प्रधानमंत्री ने भी 12 अगस्त, 2014 को अपने लेह दौरे के दौरान पश्मीना ऊन विकास (पी-3) हेतु इस कार्यक्रम की घोषणा की थी।

07 जून 2016 को श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नोमेड के लाभ के लिए कठिन परिस्थितियों में पश्मीना बकरी के बेहतर पालन हेतु सौर ऊर्जा चालित 5 सामुदायिक केन्द्र तथा 100 शरण स्थल (शेल्टर) समर्पित किए।

इस कार्यक्रम ने लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन उत्पादन के साथ-साथ गरीब पश्मीना ऊन उत्पादकों/किसानों (नोमेड) के जीवन स्तर में भी सुधार करने में सहायता की तथा वस्त्र मंत्रालय

ने लद्दाख क्षेत्र को प्राथमिकता दी है क्योंकि नोमेड चीन सीमा पर रहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत् आबंटित बजट राशि 19.12 करोड़ रूपए में से वस्त्र मंत्रालय 13.61 करोड़ रूपए का उपयोग किया।

4.3 वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक आयोजित की जाने वाली एकीकृत ऊन विकास योजना के तहत् केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए पुनर्निर्माण योजना

पूर्व में क्रियान्वित की गई पश्मीना विकास योजना के सकारात्मक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा पश्मीना ऊन उत्पादन, बकरी संख्या में वृद्दि तथा क्षेत्र में मूल्य संवर्धन सुविधाओं के। निर्मित करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने ऊन क्षेत्र की योजना के तहत् एक वृहद पश्मीना विकास कार्यक्रम की घोषणा की थी (07.11.2015)। वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत ऊन विकास योजना के तहत् वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 (वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 तक विस्तारित) के दौरान क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान के साथ ''जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए पुननिर्माण योजना'' को अनुमोदित किया। वस्त्र मंत्रालय ने इस घटक का नाम बदलकर ''केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख'' किया।

परियोजना में उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी आपूर्ति श्रृंखला के ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से पश्मीना शिल्प के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों में उत्पादकता में सुधार, विविधकरण, पश्मीना ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं तथा पश्मीना उत्पाद निर्माण सुविधाओं के निर्माण द्वारा जम्मू व कश्मीर राज्य के पश्मीना शिल्प के साथ जुड़े मानव संसाधन के लिए आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्दि करते हुए पश्मीना को एक वैश्विक ब्रांड बनाना है। यह परियोजना कच्ची पश्मीना ऊन के उत्पादन में वृद्दि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पश्मीना ऊन के मूल्य संवर्धन तथा पश्मीना उत्पादों के विकास की प्रक्रिया में प्रभावी व उत्पादक विधियों से परिचय करवाएगी।

इस पुनर्निमाण योजना के तहत् पश्मीना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया गया:-

- पश्मीना ऊन की डिहेयरिंग क्षमता में वृद्दि करने तथा अच्छी ऊपज तथा कम टूट-फूट वाली डिहेयर पश्मीना ऊन की गुणवत्ता में वृद्दि करने के लिए 1975.72 लाख रूपए की लागत वाला नया पश्मीना डेहयरिंग संयंत्र के साथ-साथ अन्य सहायक मशीनों की लेह में स्थापना हेतु एक परियोजना स्वीकृत की।
- पश्मीना ऊन की ब्रांडिंग के लिए पश्मीना ऊन को भौगोलिक सूचकांक के तहत् पंजीकृत करने के लिए एक परियोजना का क्रियान्वयन।
- जम्मू व कश्मीर क्षेत्र के बुनकरों को सस्ती दर पर वर्ष भर पश्मीना ऊन उपलब्ध करवाने हेतु, कच्चा माल बैंक घटक के तहत् 100 लाख रूपए प्रदान किए गए।
- 3 सामुदायिक चारा भूमि के विकास के परिणामस्वरूप दूर दराज के क्षेत्रों में पश्मीना बकरी के लिए चारे की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई।
- विभाग द्वारा वृहद स्तर पर चारा उत्पादन करने हेतु एक 50 हेक्टेयर के चारा फार्म का विकास। उगाए गए चारे का उपयोग सर्दी के दौरान जब चारे की अत्यधिक कमी हो जाती है उन पशु क्षेत्रों में पूर्ति के लिए किया जाएगा।

- सर्दियों के मौसम में जब चारे की अत्यधिक कमी हो जाती है तब विभागीय फार्म में उगाए गए चारे के उपयोग हेतु चारे के ब्लॉक बनाने के लिए एक चारा ब्लॉक बनाने वाली मशीन की स्थापना।
- सुविधाऐं प्रदान करना जैसे नोमेड पश्मीना पालकों के लिए गार्ड रूम सहित छाया युक्त शरण स्थल (शेल्टर शेड), नोमेड के लिए पोर्टेबल टेन्ट का वितरण, पश्मीना बकरियों की सुरक्षा हेतु एलईडी लाइट युक्त शिकारी से सुरक्षित पिंजरे प्रदान करना तथा नोमेड की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में वृद्दी करना।
- पश्मीना बकरियों की संख्या में वृद्दि करने तथा युवाओं में रोजगार सृजन हेतु फाऊण्डेशन स्टॉक के रूप में पश्मीना बकरियों का वितरण।
- पश्मीना बकरियों के उचित स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पशु स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली को सुदृड़ करना।
- पश्मीना ऊन से आकर्षक / लाभकारी दाम प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु पश्मीना उत्पादकों से सहायता दर पर पश्मीना खरीद हेतु परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फंड)।
- पश्मीना बकरी फार्म के सुदृढ़ीकरण ने अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना ऊन का उत्पादन करने वाले पश्मीना बक के उत्पादन में बढ़ोतरी की है साथ ही साथ नस्ल सुधार भी किया है।
- पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली का सुदृढ़ीकरण पश्मीना बकरी की मृत्युदर में कमी लाएगा।

  इस कार्यक्रम के तहत् आबंटित की गई राशि 50 करोड़ रूपए में से वस्त्र मंत्रालय (केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड) ने 31.27 करोड़ रूपए का उपयोग किया।

उपर्युक्त पश्मीना संवर्धन कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ-

पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (बी-3) के लिए उपर्युक्त कार्य 2014 से प्रारंभ किए गए जिसके परिणामस्वरूप पश्मीना बकरी संख्या, पश्मीना ऊन उत्पादन तथा बकरियों व पश्मीना पालकों (नोमेड) के लिए सुविधाओं में वृद्दि हुई है और इस पेशे को एक लाभदायक उद्यम बना रहे हैं तथा देश की चीन सीमा पर इस पेशे को अपनाने के लिए अन्य लोगों का आकर्षित करता है। लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना योजना के क्रियान्वयन के कारण निम्नलिखित प्रभाव देखे गए-

- पश्मीना उत्पादन में प्रति बकरी 9.30 प्रतिशत की वृद्दि
- पश्मीना बकरी की संख्या में बढ़ोतरी
- पश्मीना ऊन के दाम बढ़े हैं इसलिए पश्मीना नोमेड की आय में वृद्दि हुई है।
- सर्दियों में पश्मीना बकरियों के लिए चारे की उपलब्धता में वृद्दि तथा चराने के लिए चारा भूमि का विकास
- शिशु पश्मीना की मृत्यु दर में कमी।
- पूरक पोषण के अभाव में भूख से कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई।
- टेन्ट, गमबूट, पश्मीना कंघों (कॉम्ब) के वितरण के कारण लद्दाख में नोमेड के सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार हुआ है।
- नोमेड का शहरों की ओर पलायन रूका।
- नोमेड तथा उनकी बकरियों के लिए घर।
- फाऊण्डेशन स्टॉक के वितरण के कारण रोजगार सृजन

केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्निमाण योजना के तहत् 30 हेक्टेयर की एक चारा भूमि, 10 हेक्टेयर की 2 चाराभूमि को विकसित करने, 1 फीड पैलेट निर्माण इकाई तथा शिकारी से सुरक्षित पिंजरों का निर्माण, पोर्टेबल टेन्ट का वितरण, टीका भण्डारण, छोटे पश्मीना फार्म तथा लद्दाख में रिवोल्विंग फंड सृजित कर पश्मीना के लिए ऊन विपणन परियोजना का क्रियान्वयन करने हेतु वितीय सहायता अनुदान जारी किया।

लेह में पश्मीना ऊन की डिहेयरिंग क्षमता को बढ़ाने हेतु बोर्ड ने पश्मीना विपणन विकास योजना के अन्तर्गत पुर्ननिर्माण योजना के लिए लेह में 19.75 करोड़ रूपए की लागत वाली नई पश्मीना डिहेयरिंग इकाई के साथ-साथ एन्सिलरी मशीन स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की।